कुरआन की मआशी तालीमात

कुरआन की आर्थिक शिक्षाएँ

मौलाना सय्यिद अबुल आला मौदूदी

हिन्दी अनुवाद

१. बुनियादी हक़ीक़तें (Bunyadi Haqaiq)

इंसानी मआश (आजीविका) के बारे में सबसे पहली और बुनियादी हक़ीक़त — जिसे कुरआन मजीद बार-बार ज़ोर देकर बयान करता है — यह है कि वे तमाम साधन और संसाधन, जिन पर इंसानी आर्थिक जीवन निर्भर है, ख़ुद अल्लाह तआला ने पैदा किए हैं। उसी ने उन्हें इस तरह बनाया और उन पर ऐसे क़ुदरती क़ानून क़ायम किए कि वे इंसान के लिए लाभदायक हों। और उसी ने इंसान को इनसे फ़ायदा उठाने का अवसर दिया और इन पर उसे अधिकार दिया।

कुरआन में कई आयतें आई हैं जो यह बताती हैं कि अल्लाह ने ज़मीन को इंसान के लिए वश में किया ताकि वे उसमें चलें-फिरें और अल्लाह की रोज़ी खाएँ, और वह उन्हें दोबारा ज़िंदा करेगा (अल-मुल्क: १५)। उसने ज़मीन को फैलाया और उसमें नदियाँ और पहाड़ बनाए, और हर फल के दो जोड़े पैदा किए (अर-रअ'द: ३)। उसने ज़मीन में मांगने वालों की ज़रूरत के बराबर रोज़ी रखी (अल-आराफ़: १०)। उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, पानी उतारा, फल निकाले, नाव को समुद्र में वश में किया, नदियों को बहाया, सूरज-चाँद को मसख़्खर किया, रात-दिन को अपने अधीन किया, और जो कुछ माँगा वह दिया — अगर अल्लाह की नेमतें गिनी जाएँ तो उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता (इब्राहीम: ३२-३४)। उसने इंसान को ज़मीन में अधिकार और मक़ाम दिया और उसके लिए आजीविका के साधन जुटाए।

२. हलाल-हराम की सीमाएँ तय करना अल्लाह का अधिकार है

इसी बुनियाद पर कुरआन यह उसूल क़ायम करता है कि इंसान इन साधनों को हासिल करने और इस्तेमाल करने के मामले में न तो आज़ाद है कि अपनी मर्ज़ी से करे, और न उसे यह हक़ है कि ख़ुद अपनी मर्ज़ी से हलाल और हराम का फ़ैसला करे। बल्कि यह अल्लाह का हक़ है कि वह उसके लिए हदें मुक़र्रर करे।

कुरआन इस बात को 'झूठ' क़रार देता है कि इंसान ख़ुद किसी चीज़ को हराम कर ले या किसी को हलाल। यह अधिकार सिर्फ़ अल्लाह का है और उसके नाइब की हैसियत से रसूल का। कुरआन फ़रमाता है (अन-नह्ल: ११६): 'अपनी ज़बानों से यह न कहो कि यह हलाल है और यह हराम।' रसूल अच्छाई का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, पाक चीज़ें ईमानवालों के लिए हलाल करता है, नापाक चीज़ें उन पर हराम करता है, और उनसे वे बोझ हटाता है जो उन पर लदे हुए थे।

३. अल्लाह की हदों के अंदर निजी मिल्कियत का इस्बात

अल्लाह तआला की बड़ी मिल्कियत के तहत और उसकी मुक़र्रर की हुई हदों के अंदर कुरआन निजी मिल्कियत को साबित करता है। कुरआन किसी को भी किसी और का माल ग़लत तरीक़े से लेने की इजाज़त नहीं देता। फ़रमाया (अन-निसा: २९): 'आपस में एक-दूसरे का माल ना-जायज़ तरीक़ों से न खाओ, मगर यह कि आपस में राज़ीनामे की तिजारत हो।' फ़रमाया (अल-बक़र:: २७५): 'अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम किया।' क़र्ज़ के मुआमले को लिखने का हुक्म दिया (अल-बक़र:: २८३)। माँ-बाप और रिश्तेदारों के छोड़े हुए माल में मर्दों और औरतों के हिस्से का इस्बात किया (अन-निसा: ७)। यतीमों का माल उनके हवाले करने और उन्हें अपने माल के साथ मिलाकर न खाने का हुक्म दिया (अन-निसा: २)।

कुरआन यह भी बताता है कि अल्लाह की राह में माल ख़र्च करने वालों की मिसाल उस दाने जैसी है जिससे सात बालें निकलती हैं (अल-बक़र:: २६१)। माल और जान के साथ जिहाद करने का हुक्म दिया (अस-सफ़: ११)। माल में

ज़रूरतमंद और महरूम लोगों का एक मुक़र्रर हिस्सा बताया (अज़-ज़ारियात: १९)। इन तमाम हुक्मों से साफ़ है कि क़ुरआन ऐसी मआशी व्यवस्था की परिकल्पना नहीं करता जिसमें माल पर अफ़राद का कोई हक़ न हो।

४. मआशी नाबराबरी फ़ितरी है

क़ुरआन इस हक़ीक़त को — जो अल्लाह तआला की फ़ितरत की बुनियाद पर है — इस तरह पेश करता है कि जिस तरह दूसरी तमाम चीज़ों और दूसरी क़िस्म के जीवों के बीच रोज़ी और ज़िंदगी के साधनों में बराबरी नहीं है, उसी तरह इंसानों के बीच भी ऐसी बराबरी नहीं है। यह बराबरी न होना अल्लाह तआला की हिकमत का नतीजा है, न कि किसी इंसानी व्यवस्था का दोष।

क़ुरआन फ़रमाता है (अल-अनआम: १६५): 'वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाया और तुम में से बाज़ को बाज़ पर दर्जे में बुलंद किया ताकि जो कुछ उसने तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें आज़माए।' (बनी इसराइल: २१): 'देखो हमने कैसे बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है।' (अज़-ज़ुख़रुफ़: ३२): 'हमने दुनिया की ज़िंदगी में उनकी मआश उनके बीच तक़सीम की है और हमने बाज़ को बाज़ से ऊँचे दर्जे दिए ताकि एक-दूसरे से काम लें।'

क़ुरआन लोगों को हिदायत देता है कि इस फ़ितरी नाबराबरी को दिल से क़बूल करें और जो फ़ज़ीलत अल्लाह ने दूसरों को दी है उस पर हसद न करें (अन-निसा: ३२): 'जो अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है उसकी तमन्ना न करो।'

५. रहबानियत की जगह एतदिल और पाबंदी-ए-हदूद

क़ुरआन बार-बार यह सच्चाई बयान करता है कि अल्लाह ने ये दुनिया की नेमतें इसलिए पैदा की हैं कि उसके बंदे इनसे मुस्तफ़ीद हों — इसलिए रहबानियत का कोई मौक़ा नहीं। बल्कि जो कुछ वह चाहता है वह यह है कि पाक और ना-पाक, जायज़ और ना-जायज़ में इम्तियाज़ किया जाए, सिर्फ़ हलाल और पाक चीज़ों से मुस्तफ़ीद हुआ जाए, और इसमें भी एतदिल की हद से न बढ़ा जाए।

क़ुरआन फ़रमाता है (अल-बक़र:: २९): 'वही है जिसने ज़मीन में जो कुछ है सब तुम्हारे लिए पैदा किया।' (अल-आराफ़: ३२): 'कहो: किसने अल्लाह की उस ज़ीनत को हराम किया जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली?' (अल-माइदा: ८८): 'जो चीज़ें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं उनमें से हलाल और पाकीज़ा खाओ।' (अल-बक़र:: १६८): 'ऐ लोगों! ज़मीन में जो कुछ है उसमें से हलाल और पाकीज़ा खाओ।' (अल-आराफ़: ३१): 'खाओ और पियो और हद से न गुज़रो।' हज़रत ईसा के पैरोकारों की ईजाद की हुई रहबानियत के बारे में क़ुरआन कहता है (अल-हदीद: २७) कि उन्होंने इसे ख़ुद ईजाद किया — अल्लाह ने उन पर इसे फ़र्ज़ नहीं किया था।

६. कसब-ए-माल में हलाल और हराम का इम्तियाज़

इस ग़रज़ के लिए क़ुरआन यह पाबंदी आयद करता है कि दौलत सिर्फ़ हलाल तरीक़ों से हासिल की जाए और हराम तरीक़ों से इजतिनाब किया जाए। क़ुरआन फ़रमाता है (अन-निसा: २९): 'ऐ ईमानवालो! आपस में एक-दूसरे के माल ना-जायज़ तरीक़ों से न खाओ।' (अल-बक़र:: २७५): 'अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम किया।' (अल-बक़र:: २७९): 'अगर तुमने तौबा की तो तुम्हारा असल माल वापस लेने का हक़ है।' (अल-बक़र:: २८३): 'अगर तुम सफ़र पर हो और कोई लिखने वाला न मिले तो रेहन रखो।'

७. कसब-ए-माल के हराम तरीक़े

हराम तरीक़ों की पूरी तफ़्सील रसूल की हदीसों और इस्लामी फ़िक़्ह की किताबों में मिलती है, लेकिन जिन बाज़ तरीक़ों की क़ुरआन में सराहत हुई है वे ये हैं: (क) एक-दूसरे का माल ना-जायज़ तरीक़ों से खाना और उसे हाकिमों के सामने पेश करना ताकि लोगों का माल गुनाह की बात से हड़प लो (अल-बक़र:: १८८)। (ख) अमानत में ख़यानत — जो कोई अपने पद में ख़यानत करे वह क़यामत के रोज़ जो ख़यानत किया उसे लेकर आएगा (आल-इमरान: १६१)। (ग) चोरी — चोरी करने वाले मर्द और औरत दोनों के हाथ काट दो (अल-माइदा: ३८)। (घ) डकैती और लूटमार (अल-माइदा: ३३)। (ङ) यतीमों का माल ज़ुल्म से खाना — वे अपने पेटों में आग भर रहे हैं (अन-निसा: १०)। (च) नाप में कमी करना — उन लोगों के लिए तबाही है जो दूसरों से लेते वक़्त पूरा लेते हैं और देते वक़्त कम देते हैं (अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन: १-३)। (छ) ईमानवालों में बेहयाई फैलाना — दुनिया और आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब (अन-नूर: १९)। (ज) लोगों को अल्लाह की राह से भटकाने के लिए बेकार बात ख़रीदना (लुक़मान: ६)। (झ) दुनिया की कमाई के लिए लौंडियों को ज़िना पर मजबूर करना (अन-नूर: ३३)।

८. बुख़्ल और इक्तिनाज़ की ममानअत

ना-जायज़ तरीक़ों से दौलत हासिल करने की ममानअत के साथ-साथ क़ुरआन मजीद जायज़ तरीक़ों से हासिल की हुई दौलत को भी ज़ख़ीरा करके रखने और ख़र्च न करने की सख़्त मज़म्मत करता है। फ़रमाया: हर उस शख़्स के लिए तबाही है जो ऐबजोई और पीठ-पीछे बुराई करने वाला हो, जिसने माल जमा किया और उसे बार-बार गिना, वह समझता है कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा — उसे हुतमा में डाला जाएगा (अल-हुमज़ा: १-४)। जो लोग सोना और चाँदी ज़ख़ीरा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़बर दो (अत-तौबा: ३४)। जो अपने नफ़्स की तंगी से बचाया गया वही कामयाब है (अत-तग़ाबुन: १६)।

९. ज़र-परस्ती और हिर्स-ए-माल की मज़म्मत

इसके साथ क़ुरआन यह भी बताता है कि दुनिया की दौलत की ज़र-परस्ती, हिर्स और हवस इंसान को ग़फ़लत और घमंड में डाल देती है और यह आख़िरत में तबाही के सबसे बड़े कारणों में से एक है: 'तुम्हें ज़्यादा के लालच ने ग़ाफ़िल कर दिया यहाँ तक कि तुम क़ब्रों में पहुँच जाते हो — तुम जल्द जान लोगे' (अत-तकासुर: १-३)। 'हमने कितनी ही बस्तियाँ हलाक कर दीं जो अपनी मआश पर घमंड करती थीं — अब देखो उनके घरों को, उनके बाद उनमें थोड़े ही रहे' (अल-क़सस: ५८)।

१०. बेजा ख़र्च की मज़म्मत

दूसरी तरफ़ क़ुरआन मजीद इस बात की भी सख़्त मज़म्मत करता है कि जायज़ तरीक़ों से हासिल की हुई दौलत को नाजायज़ कामों में उड़ाया जाए, या सिर्फ़ अपनी ऐश-व-इशरत और लुत्फ़-ओ-लज़्ज़त के लिए ख़र्च किया जाए। फ़रमाया (अल-अनआम: १४१): 'हद से ज़्यादा ख़र्च न करो; बेशक अल्लाह हद से ज़्यादा ख़र्च करने वालों को पसंद नहीं करता।' (बनी इसराइल: २६-२७): 'फ़िज़ूलख़र्ची न करो; फ़िज़ूलख़र्च शैतानों के भाई हैं।' (अल-आराफ़: ३१): 'खाओ और पियो और हद से न गुज़रो।'

क़ुरआन की नज़र में इंसान के लिए सही रवैया यह है कि वह ख़ुद और अपने आश्रितों पर एतदिल के साथ ख़र्च करे, और ख़ुद को और अपने मुतअल्लक़ीन को एक मुक़र्रर हिस्सा देता रहे। (बनी इसराइल: २९): 'अपना हाथ न बिल्कुल गर्दन से बाँधे रखो और न बिल्कुल खोल दो।' (अल-फ़ुरक़ान: ६७): 'जो ख़र्च करते हैं तो न फ़िज़ूलख़र्ची करते हैं और न बुख़्ल, बल्कि दोनों के बीच एतदिल पर क़ायम रहते हैं।'

११. दौलत ख़र्च करने के सही तरीक़े

मुनासिब हद तक अपनी ज़रूरियात पर ख़र्च करने के बाद अपनी हलाल कमाई से जो दौलत बचे उसे इन कामों में ख़र्च करना चाहिए। (अल-बक़र:: २१९): 'तुमसे पूछते हैं कि क्या ख़र्च करें, कहो: जो ज़रूरत से ज़्यादा हो।' (अल-बक़र:: १७७): 'नेकी यह नहीं कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ़ मुँह करो, बल्कि नेकी यह है कि अल्लाह पर, आख़िरत पर, फ़रिश्तों पर, किताब पर, नबियों पर ईमान लाओ, और माल अल्लाह की मुहब्बत में रिश्तेदारों, यतीमों, मिसकीनों, मुसाफ़िरों, माँगने वालों और ग़ुलामों की आज़ादी पर ख़र्च करो।' (आल-इम्रान: ९२): 'तुम नेकी के मक़ाम को कभी नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी महबूब चीज़ें ख़र्च न करो।'

(अन-निसा: ३६): 'अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, और माँ-बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, मिसकीनों, पड़ोसियों, हमसफ़र, साथियों, मुसाफ़िरों और ग़ुलामों के साथ नेक सुलूक करो।' (अल-इंसान: ८-९): 'नेक लोग अल्लाह की मुहब्बत में मिसकीनों, यतीमों और क़ैदियों को खाना खिलाते हैं, और कहते हैं: हम तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह की ख़ुशनूदी के लिए खिला रहे हैं।' (अज़-ज़ारियात: २४-२५): 'उनके माल में माँगने वाले और महरूम के लिए एक मुक़र्रर हिस्सा है।' (अन-नूर: ३३): 'जो तुम्हारे ग़ुलाम आज़ादी हासिल करना चाहें उनसे मुआहदा करो, अगर उनमें भलाई देखो, और अल्लाह के माल में से जो उसने तुम्हें दिया है उन्हें दो।'

१२. माली कफ़्फ़ारे

अल्लाह की राह में रज़ाकाराना इन्फ़ाक़ के अलावा क़ुरआन मजीद कुछ गुनाहों के लिए माली कफ़्फ़ारे भी मुक़र्रर करता है। मसलन जिसे शख़्स ने क़सम तोड़ी उसे दस मिसकीनों को औसत खाना खिलाना है जैसा अपने घर वालों को खिलाता है, या उन्हें कपड़े पहनाना है, या एक ग़ुलाम आज़ाद करना है — जो ऐसा न कर सके वह तीन दिन रोज़ा रखे (अल-माइदा: ८९)। इसी तरह जो अपनी बीवी को माँ की पीठ से तशबीह देकर उसे हराम कर ले और फिर रुजूअ करना

चाहे तो उसे एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा — जो न कर सके वह दो महीने के रोज़े रखे — जो इसकी भी ताक़त न रखे वह साठ मसिकीनों को खाना खलिाए (अल-मुजादला: ३-४)।

१३. इन्फ़ाक़ के मक़बूल होने की लाज़मी शर्तें

लेकनि यह इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलल्लिाह उसी सूरत में फ़ी सबीलल्लिाह माना जा सकता है जब वह ख़ुदग़र्ज़ी और नमाइश से पाक हो, रयिाकारी न हो, अपना बुरा माल न दयिा जाए, बल्कि बेहतर माल दयिा जाए, और इसका एकमात्र मक़सद अल्लाह की मुहब्बत और उसकी ख़ुशनूदी हो।

क़ुरआन फ़रमाता है (अन-नसिा: ३८): 'जो लोगों को दखिाने के लएि अपना माल ख़र्च करते हैं और अल्लाह और आख़रित पर ईमान नहीं रखते, ऐसे शख़्स का साथी शैतान है।' (अल-बक़र:: २६४): 'ऐ ईमानवालो! अपनी सदक़ात को एहसान जताकर और तकलीफ़ देकर बर्बाद मत करो।' (अल-बक़र:: २६१): 'जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनकी मसिाल उस दाने जैसी है जसिसे सात बालें नकिलती हैं।' (अल-बक़र:: २६५): 'ऐ ईमानवालो! जो कुछ तुमने कमाया है और जो हमने ज़मीन से तुम्हारे लएि नकिाला है उसमें से अच्छी चीज़ें ख़र्च करो।'

१४. इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलल्लिाह अपने आप में इबादत है

अल्लाह की राह में यह ख़र्च — जसिे क़ुरआन कभी इन्फ़ाक़, कभी सदक़ा, और कभी ज़कात के लफ़्ज़ से तअबीर करता है — महज़ एक भलाई और नेकी नहीं है बल्कि यह इस्लाम के पाँच अरकान में से एक है, जसि तरह ईमान, नमाज़, रोज़ा और हज अरकान हैं। क़ुरआन ने इसका ज़क्रि नमाज़ के साथ ३३ मक़ामात पर कयिा है। अल्लाह ने अंबयिा को नमाज़ क़ायम करने और ज़कात देने का हुक्म दयिा (अल-अंबयिा: ७३)। ईसा को ज़दिगी भर नमाज़ और ज़कात का पाबंद रहने का हुक्म दयिा (मरयम: ३०-३१)।

१५. लाज़मी ज़कात और उसकी शरह

क़ुरआन ने समाज के अफ़राद को रज़ाकाराना इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलल्लिाह के लएि आम उरूह देने पर ही बस नहीं कयिा, बल्कि रसिूल ने इन्फ़ाक़ को एक मुक़र्रर फ़रीज़ा बनाकर इस्लामी रयिासत की तरफ़ से उसकी तहसील और तक़सीम का नज़िाम क़ायम कयिा।

ज़कात की शरहें: (क) सोना-चाँदी और नक़द: सालाना ढाई फ़ीसद। (ख) बारानी ज़मीन की पैदावार: १० फ़ीसद। (ग) सचिाई वाली ज़मीन की पैदावार: ५ फ़ीसद। (घ) ख़ुदानों पर: २० फ़ीसद। (ङ) मवेशयिों पर: फ़क़्हि की कतिाबों में तफ़सील मलिती है। यह ज़कात उसी तरह फ़र्ज़ है जसि तरह पाँच वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है।

१६. अमवाल-ए-ग़नीमत का ख़ुम्स

ज़कात के फ़रीज़े से जो वसाइल फ़राहम होते हैं उसके अलावा क़ुरआन एक और अहम वसीला बयान करता है: माल-ए-ग़नीमत का ख़ुम्स। क़ुरआन यह उसूल मुक़र्रर करता है कि फ़ौज के हाथ जो माल-ए-ग़नीमत आए उसे सपिाही ख़ुद न लूटें बल्कि सब कुछ कमांड के हवाले करके उसमें से पाँचवाँ हस्सिा अलग करके हुकूमत के हवाले कर दें। (अल-अनफ़ाल: ४१): 'और जान लो कि जो कुछ तुम्हें ग़नीमत मलि उसका पाँचवाँ हस्सिा अल्लाह और रसूल, रश्तिेदारों, यतीमों, मसिकीनों और मुसाफ़रिों के लएि है।'

१७. मसारफ़ि-ए-ज़कात

इन दोनों वसाइल से जो माल हासलि हो वह एक आम ख़ज़ाना है जसिमें कसिी का कोई मुक़र्रर हस्सिा नहीं है। बल्कि क़ुरआन ने इसे ख़ास मसारफ़ि के लएि मुख़तस कयिा है। (अत-तौबा: ६०): 'सदक़ात तो सरि्फ़ फ़क़ीरों, मसिकीनों, उन पर काम करने वालों, उन लोगों के लएि हैं जनिकी तालीफ़-ए-क़ल्ब मक़सूद हो, ग़ुलामों की आज़ादी के लएि, क़र्ज़दारों के लएि, अल्लाह की राह में, और मुसाफ़रिों के लएि — यह अल्लाह का मुक़र्रर कयिा हुआ फ़रीज़ा है।'

१८. तक़सीम-ए-मीरास का क़ानून

किसी मर्द या औरत की वफ़ात पर उनके छोड़े हुए माल के बारे में क़ुरआन का क़ानून यह है कि यह माल उनके वालदैन, बच्चों और बीवी या शौहर के बीच एक मुक़र्रर अनुपात में तक़सीम किया जाए। इसके विस्तृत क़ानून सूरा-ए-निसा में बयान हैं। इस मामले में क़ुरआन ने जो बुनियादी उसूल अपनाया है वह यह है कि एक शख़्स की ज़िंदगी में उसके पास माल जमा होता है — मरने के बाद यह माल मरकज़ ही न रहे बल्कि उसके क़राबतदारों में बाँट दिया जाए। यह उसूल बड़े बेटे को मीरास देने के उसूल और मुश्तरक हिंदू ख़ानदानी निज़ाम के उल्टा है।

१९. वसीयत का क़ायदा

मीरास का क़ानून मुक़र्रर करने के साथ-साथ क़ुरआन मरने वाले को यह हिदायत भी करता है कि मरने से पहले अपने बारे में वसीयत करे। (अल-बक़र:: १८०): 'तुम पर यह लाज़िम किया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत आने वाली हो और वह माल छोड़ रहा हो तो वालदैन और रिश्तेदारों के लिए शायसता तरीक़े पर वसीयत करे।'

२०. नादान लोगों के मुफ़ाद की हिफ़ाज़त

जो लोग अक़्ल में कमज़ोर हों और अपनी जायदाद का सही तरह तसर्रुफ़ न कर सकते हों — क़ुरआन उनके बारे में हिदायत करता है कि उनकी जायदाद उन्हें न सौंपी जाए, बल्कि उनकी तरफ़ से उसका इंतज़ाम किया जाए — उन्हें उसमें से खाना और कपड़े दो और उनसे अच्छी बात करो। यतीमों को आज़माओ यहाँ तक कि वे निकाह की उम्र को पहुँचें — अगर उनमें समझदारी देखो तो उनका माल उन्हें सौंप दो (अन-निसा: ५-६)।

२१. सरकारी अमलाक में इज्तिमाई मुफ़ाद का लिहाज़

जो जायदाद और माल हुकूमत के पास आए उनके बारे में क़ुरआन हिदायत करता है कि इस माल का मुस्तफ़ीद सिर्फ़ एक ख़ास तबक़ा न हो बल्कि आम लोगों के मुफ़ाद में हो, और इसके साथ समाज के कमज़ोर तबक़ों की ज़रूरियात का ख़ास ख़याल रखा जाए। (अल-हश्र: ७-१०): 'जो कुछ अल्लाह ने रसूल को बस्ती वालों की तरफ़ से दिलाया वह अल्लाह और रसूल, क़राबतदारों, यतीमों, मसिकीनों और मुसाफ़िरों के लिए है ताकि यह माल तुम्हारे अमीरों के बीच ही गर्दिश न करता रहे।'

२२. टैक्स आयद करने के बारे में इस्लाम का उसूली ज़ाबता

टैक्स आयद करने के बारे में क़ुरआन इस उसूल की तरफ़ रहनुमाई करता है: टैक्स सिर्फ़ उन लोगों पर लगाए जाएँ जिनके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माल हो, और उनके माल से सिर्फ़ वही हिस्सा लिया जाए जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा हो। (अन-निसा: २१९): 'वे तुमसे पूछते हैं कि क्या ख़र्च करें, कहो: जो ज़रूरत से ज़्यादा हो।'

इस्लामी निज़ाम-ए-मआशियत की ख़ुसूसियात

क़ुरआन की इन २२ नुक़्तों से जो आयातों में इंसानी मआशी ज़िंदगी के लिए तरतीब दी गई हैं, उनकी बुनियादी ख़ुसूसियात यह हैं:

१. यह स्कीम मआशी इंसाफ़ इस तरह क़ायम करती है कि मआशी ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी ख़त्म हो और समाज में अख़लाक़ी फ़ज़ाइल पैदा हों।

२. इसमें मआशी अक़दार और अख़लाक़ी अक़दार को एक-दूसरे के साथ हम-आहंग किया गया है।

३. इसमें ज़मीन पर इंसानी नौअ की मआशी वसाइल को अल्लाह का आम फ़ज़्ल क़रार दिया गया है जिसकी निजी या क़ौमी इजारादारी जायज़ नहीं।

४. इसमें अफ़राद की निजी मल्कियत का हक़ तस्लीम किया गया है लेकिन बेलगाम नहीं।

५. इंसानी ज़िंदगी के मआशी निज़ाम को फ़ितरी सूरत में पेश किया गया है जिसमें अफ़राद को आज़ादाना मेहनत और जद्दोजहद की इजाज़त है।

६. इसमें औरत और मर्द दोनों की कमाई हुई दौलत दोनों की यकसाँ मल्कियत क़रार दी गई है।

७. इसमें मआशी तवाज़ुन बरक़रार रखने और एक तरफ़ से लोगों को फ़िज़ूलख़र्ची और इस्राफ़ से मना किया गया है।

८. इसमें मआशी इंसाफ़ क़ायम करने की ऐसी व्यवस्था है जसिमें दौलत कसिी ग़लत ज़रएि से आए और न कसिी एक जगह जमा होकर रुके।

९. यह मआशी इंसाफ़ की स्कीम रयिासत के दख़ल पर ज़्यादा इन्हसार नहीं करती।

१०. समाज् के मुख़्तलफ़ि अनासरि के बीच आपसी तनाव की जगह उनके दरमयिान तआवुन और रफ़ाक़त की रूह पैदा करती है।

यह उसूल रसूल और ख़ुलफ़ा-ए-राशदिीन के अहद में जसि तरह नाफ़ज़ि कएि गए थे उससे हमें अहकाम और नज़िाम की शक्ल में तफ़सीलात मलिती हैं। लेकनि यह इस मज़मून के मौज़ूअ से ख़ारजि है। इसके बारे में हदीस, फ़क़्ि ह, तारीख़ और सीरत की कतिाबों में वसीअ मवाद मौजूद है।